

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 04.10.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त चाँद बाबू पुत्र मदारी उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम उमरन थाना रनियां जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 35 क्वार्टर देशी नाजायज ट्रिवन टावर की शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 173/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त नारेन्द्र सिंह S/O सुरेश सिंह निवासी कुन्दनपुर थाना रनियां जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 26 वर्ष के कब्जे से 35 क्वार्टर देशी नाजायज ट्रिवन टावर की शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 175/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. निहाल सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह निवासी ग्राम आगापुर थाना घाटपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 23 वर्ष 2. कल्लू उर्फ नीरज पुत्र छोटे ग्राम आगापुर थाना घाटपुर जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 24 वर्ष द्वारा गजनेर चौराहे के पास आने -जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील इशारे व हरकते करना व अश्लील गाना- गाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0294/25 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सौरव शर्मा पुत्र अनूप कुमार निवासी राजघाट कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन द्वारा महिलाओं व लडकियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 333/25 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र गंगाराम निवासी गिरदौं थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 27 वर्ष द्वारा महिलाओं व लडकियों को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 334/25 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया